

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

संख्या - ए- 22013/3/2014-केहिप्रसं/1933

दिनांक: 02.07.2019

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग के दिनांक 24 जून, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14034/10/2018-रा.भा. (प्रशि.) में निदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण उसी रूप में निम्नानुसार किए जाते हैं:-

क्रसं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थान जहां तैनाती की जा रही है।	अभ्युक्ति
1.	श्री वासुदेव सिंह, उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना	उप निदेशक (पूर्व) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता	परीक्षा-स्कंध, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली	स्वयं के अनुरोध पर
2.	श्री धीरज लाल, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि)	उप निदेशक (पूर्वोत्तर) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, गुवाहाटी	केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता	स्वयं के अनुरोध पर
3.	श्री जितेन्द्र प्रसाद, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि)	केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता	उप निदेशक (पूर्वोत्तर) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, गुवाहाटी	जनहित में
4.	श्रीमती बेला, सहायक निदेशक (भाषा)	हिंदी शिक्षण योजना, विशाखापत्तनम	हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद	स्वयं के अनुरोध पर
5.	श्रीमती रमा पी.अयंगर, सहायक निदेशक (भाषा)	हिंदी शिक्षण योजना, नागपुर	हिंदी शिक्षण योजना, चेन्नै	स्वयं के अनुरोध पर
6.	डॉ. राकेश कुमार, सहायक निदेशक (भाषा)	हिंदी शिक्षण योजना, मुम्बई	हिंदी शिक्षण योजना, पुणे	स्वयं के अनुरोध पर
7.	सुश्री विनीता तिवारी, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि)	हिंदी शिक्षण योजना, बेंगलुरु	उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली	स्वयं के अनुरोध पर

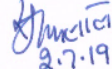
.....2/-

सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
7th Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan (Paryavaran Bhawan), C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

दूरभाष / Telephone : 011-24364119, टेलीफैक्स / Telefax : 011-24365089

ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website : www.chti.rajbhasha.gov.in.

जिन अधिकारियों का स्थानांतरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया जा रहा है वे नियमानुसार स्थानांतरण भत्ता/टीए/डीए आदि के हकदार नहीं होंगे।


2.7.19
(सुमन लाल)

संयुक्त निदेशक एवं विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. वेतन तथा लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय (सी.एस.एफ.) गृह मंत्रालय, चेन्नै ।
3. उप निदेशक (मध्योत्तर/परीक्षा/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/पूर्वोत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नै, गुवाहाटी को इस निदेश के साथ कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से गंतव्य तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए निदेश दें।
4. सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, पुणे/नागपुर,
5. उप सचिव (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 24-6-2019 के का.जा. सं.14034/10/2018- रा.भा. (प्रशि.) के अनुक्रम में सादर प्रेषित ।
6. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
7. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
8. संबंधित अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना।
9. अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक(भाषा/टंकण/आशु.), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
10. संबंधितों की सेवापंजी/व्यक्तिगत फाईल हेतु।
11. गार्ड फाईल ।